तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
15/06/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को तामील कराई गई बावजूद तामील होने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 24 / 2022

ण :–

भाखरसिंह पुत्र हरदानराम
जाति विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

ीगण :–

1. देराम पुत्र वगताराम
2. भेराराम पुत्र वगताराम
3. मदन पुत्र वगताराम
4. रूपाराम पुत्र घमण्डाराम
5. गवरीदेवी पत्नीभागीरथराम
6. मांगीलाल पुत्र भागीरथराम
7. सुरेन्द्रकुमार पुत्र भागीरथराम
8. पपूराम पुत्र आसुराम
9. रामाराम पुत्र आसूराम
10. श्रवणकुमार पुत्र आसूराम
11. शांति पत्नी आसुराम
12. बाबूलाल पुत्र भीयाराम
    कौम विश्नोई साकिन बारासण तहसील गुड़ामालानी
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14/6/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री हरीश चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 (2078 से स्थायी) सरहद मौजा बारासण पटवार हल्का बारासण के खेत खसरा नम्बर 560 रकबा 4.0711 हैक्टेयर, का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की मा[illegible]होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव [illegible] खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे [illegible] प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:49 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में